

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2016/ज्येष्ठ 26, 1938 No. 417] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2016/JYAISTHA 26, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2016

सा.का.नि. 605(अ) .— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के पैरा 5 के उप-पैरा (4) के साथ पठित लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 768(अ) तारीख 4 नवंबर, 2008 में भारत सरकार की अधिसूचना में संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, "प्रत्येक मास की 30 तारीख तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रत्येक मास की 15 तारीख तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 18-13/91-पी.एल.-एचएसएम.डी (वोल.II)]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. सा.का.नि. 768(अ) तारीख 4 नवंबर, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

3064 GI/2016 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2016

G.S.R. 605(E).— In exercise of the powers conferred by section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991) read with sub-paragraph (4) of paragraph 5 of the Environment Relief Scheme, 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest notification no. G.S.R. 768(E), dated the 4th November, 2008, namely:-

In the said notification, in paragraph 5, in sub-paragraph (4), for the words and figures "30th of every month", the words and figures "15th of every month" shall be substituted.

[F. No. 18-13/91-PL-HSMD (Vol.II)]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 768 (E), dated the 4th November, 2008.